सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 वैशाख, 1938 (श०)

संख्या- 334 राँची, शनिवार,

20 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

25 अप्रैल, 2017

विषय: जोगी (जुगी, गोसाई) की उप जाति गिरि-सन्यासी, अतित, अतिथ / अतीथ को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची II) के क्रमांक 11 पर जोगी (जुगी, गोसाई) के साथ शामिल करने के संबंध में ।

संख्या-14/जाति-03-06/2011का.- 5709-- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछडे वर्गों एवं पिछडे वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 मे क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति / वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है ।

3. पिछडे वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह /परामर्श कि ''जोगी (जुगी, गोसाई)'' जाति के समजाति गिरि-सन्यासी, अतित, अतिथ /अतीथ को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची II) के क्रमांक 11 पर ''जोगी (जुगी, गोसाई)'' के साथ शामिल किया जाय'' के आलोक मे सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछडे वर्गो की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक 11 को निम्न रूपेण परिवर्द्धित की जायः-

परिवर्द्धित स्वरुप निम्न प्रकार है:-

क्रमांक-11-''जोगी (जुगी, गोसाई), गिरि-सन्यासी, अतित, अतिथ/ अतीथ।''

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 334--50